

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : चकदादन पुर परगना : (सदर) तहसील : सदर जन्मपद : इलाहाबाद फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1 खाता संख्या : 00007

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान खसरा संख्या क्षेत्रफल (हे.) आदेश टिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिपरतों केअधिकार में हो।

उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल / डेवलपमेंट एंड पावटी एलि0 18-ए / 18-ए अकलैण्ड रोडए इला0 जरिए सचिव कौशल कुमार

8
9
10
110.2280
0.3650
0.2170
0.3990

1418फ0 अदेगानुसार उपजिलाधिकारी वाद संख्या 25 धारा 143 उत्थान सेंटर फार सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पावटी एलीमिएसन द्वारा सचिव कौशल कुमार बनाम उ0 प्र0 राज्य टिकाक 07-08-10को आदेश हुआ कि गौजा चक दादनपुर पर0 व तह0 सदर इला0 की खतैनी 1412-1417फ0 के खाता संख्या 27 की आ0 सं0 8

रकना 0.228हे0 व 9 रकना 0.365हे0, 10 रकना 0.217हे0 व 11 रकना 0.399हे0 कुल चार गाटा रकना 1.209हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। 16-06-11

योग

4

1.2090

Disclaimer: उक्त अँकडे मात्र अवलोकनार्थ है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्वरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।



Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : दादनपुर परगना : (सदर) तहसील : सदर जनपद : इलाहाबाद फसली वर्ष : 1420-1425 भाग : 1 खाता संख्या : 00010

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान खसरा संख्या क्षेत्रफल (हे.) अदेश टिप्पणी

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सम्मर्पण भूमिधरो के अधिकार में हो।

उत्थान सेटर फार सस्टेनेबल / डेवलपमेंट एंड पावर्टी एलि0 18-ए / 18-ए आकलैण्ड 150 0.8110
रोड ए इला0 जरिए सचिव कौशल कुमार 151 0.7280

योग 2 1.5390

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अस्वलोकनार्थ हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

आदेश दिनांक - 07/8/10

आदेश

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।

आद संख्या 25 जन 2010 अन्तर्गत धारा 143 उ०प्र०वि०अधिनियम

ग्राम चक दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ।

उत्थान सेन्टर फार प्रोसेनों ल डेवलपमेंट प्रति उ०प्र०राज्य
एड पावर्टी एलिमिनेशन द्वारा पंचिव
नीय ली कुं-र

निर्णय
=====


उत्थान सेन्टर फार प्रोसेनों ल डेवलपमेंट एड पावर्टी एलिमिनेशन
द्वारा पंचिव न्यायालय कुं-र तिवारी, 18ए आकलेण्ड रोड उलाहाबाद ने ग्राम चक
दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद को आ०सं० ८ रकबा ०. 2280हे०,
आ०सं० ९ रकबा ०. 3650हे०, आ०सं० 10 रकबा ०. 2170हे० व आ०सं० 11 रकबा
०. 3990हे० कुल 4 गाटा रकबा 1. 2090हे० को अकृषि/शिक्षण संस्था, तकनीकी,
व्यवसायिक एवं नाध्ययिक एवं उच्च शिक्षण घोषित करने हेतु एक वाद दायर
किया है ।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई । नायब तहसीलदार दक्षिणी
तहसील सदर द्वारा आख्या दिनांक 6-8-10 पत्रावली पर उपलब्ध है जिसे तहसीलदार
सदर ने अनुमति दियी है ।

मैन पत्रावली का अवलोकन किया तथा दादीपक्ष को सुना । नायब
तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या दिनांक 6-8-2010 में अंकित किया गया है कि प्रश्न-
वस्तु भूमियों पर उत्थान संस्था की शिक्षण संस्थान का भवन व मैदान व कुछ भाग
कुछ भूमि के रूप में है । सम्पूर्ण भूमि बाउन्ड्रीवाल से घिरी अकृषिक उपयोग में है ।
इसमें स्वयंसेवक भूमि अकृषिक प्रयोजन में लायी जा रही है । इस कारण
अकृषिक भूमि घोषित करने में कोई विधिक अड़बट नहीं है ।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम
दादनपुर परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की/भूमि सं या 8 रकबा
०. 2280हे० आ०सं० 9 रकबा ०. 3650, आ०सं० 10 रकबा ०. 2170हे० व आ०सं० 11
रकबा ०. 3990हे० कुल चार गाटा रकबा 1. 2090हे० को अकृषिक घोषित किया जाता
है । तहसीलदार द्वारा उक्त आदेश जारी हो । आद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली
द्वारा संफारत हो । अपनी एक प्रतिलिपि न्यायालय कुं-र तिवारी जिला इलाहाबाद को भी भेजी जायेगी ।



SHAMBU NATH INSTITUTE
COURT
SHAMBU NATH INSTITUTE
COURT
SHAMBU NATH INSTITUTE
COURT

संयोजक
शुभम सर 07/8/10

2/8/10
जिलाधिकारी

Director
Shambhu Nath Institute
of Pharmacy
Allahabad

नकल आवेक्षा दिनांक - 11/8/10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।
वाद संख्या 26 सन् 2010 अन्तर्गत धारा 143 उपग्राम विभाजन
ग्राम वक दादनपुर, परगना व तहसील सदर, जिला इलाहाबाद ।
उत्थान सेन्टर पत्तार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट प्रति उपग्राम
रूड पावर्टी एली विरमान द्वारा सविष
कौशल कुमार

क्रिपि

उत्थान सेन्टर पत्तार सस्टेनेबिल डेवलपमेंट रूड पावर्टी एली विर
मान द्वारा सविष कौशल कुमार तिवारी, 18ए आकैड रोड इलाहाबा
ने ग्राम वक दादनपुर, परगनाव तहसील सदर, जिला इलाहाबाद को आ
सं० 150 रकबा 0-8110 हे०, आसं० 151 रकबा 0-7280, आ संख्या 15
0-8280 कुल 3 गाटा रकबा 2-3670 हे०

को अद्रुषक/शिक्षा संस्था, तकनीकी, विकिसोप एवं नाट्यमिक एवं उच्च
शिक्षण घोषित करने हेतु यह वाद दापर किया है।


इस पर तहसील से जाहया प्राप्त की गई। नायब तहसीलदार
दक्षिणी तहसील सदर की जाहया दिनांक 10-8-10 पत्रावली पर उपलब्ध
है जिसे तहसीलदार सदर ने अग्रसारित किया है।

ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीपक्ष को सुना। नायब
तहसीलदार द्वारा अपनी जाहया दिनांक 10-8-2010 में अंकित किया
गया है कि प्रसंगत भूमियों पर उत्थान संस्था की शिक्षण संस्थान का
भवन व मैदान व कुछ भाग लुली भूमि के रूप में है। सम्पूर्ण भूमि बाउन्डी-
वाल से घिरी अकृषिक उपयोग में है। इसके स्पष्ट है कि भूमि अकृषिक
प्रयोग में लायी जा रही है। इस कारण इसे अकृषिक भूमि घोषित करने
में कोई विधिक अड़वन नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि
ग्राम वक दादनपुर परगना व तहसील सदर, जिला इलाहाबाद की छतौनी
1414-1419 पसली आसं० 150 रकबा 0-8110 हे०, आसं० 151 रकबा
0-7280, आसं० 155 0-8280 कुल 3 गाटा रकबा 2-3670 हे० को अकृषिक
घोषित किया जाता है। तदनुसार परधाना अमलदरानेद जारी हो। बाद
आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इसकी एक प्रति उप-
निबंधक सदर इलाहाबाद को भी भेजी जाए।

सत्य प्रति लिपि
Date - 10-8-10



15/8/10
जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद ।

न्यायालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद

Director
Shambhu Nath Institute
of Pharmacy
Allahabad

Director
Shambhu Nath Institute
of Pharmacy
Allahabad